न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल के समक्ष,

उषा रानी और अन्य-अपीलकर्ता
बनाम
भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

1996 का एफ.ए.ओ. संख्या 2558,
19 नवंबर, 2003

रेलवे अधिनियम, 1989-धारा 123, 124 और 124ए-यात्रा के दौरान ट्रेन के दरवाजे से दुर्घटनावश गिरने से मौत-ट्रिब्यूनल ने मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया-मृतक के पास दुर्घटना के दिन का वैध टिकट था-एक स्वतंत्र गवाह भी मौत के तथ्य को स्थापित कर रहा है- ट्रिब्यूनल का पता लगाना कि मृतक की मृत्यु उसकी अपनी लापरवाही के कारण हुई है यह पूरी तरह से बिना किसी आधार के है-धारा 124-ए-उस मृतक के आश्रितों को मुआवजे के भुगतान देने के लिए रेलवे के दायित्व को बढ़ाता है जो कि रेलवे पर काम करने के दौरान 'अप्रिय घटना' के कारण ट्रेन से गिरकर मर जाता है जैसा धारा 123 (सी)/(ii) में परिभाषित है। मृतक के आश्रितों द्वारा किया गया दावा पूरी तरह से धारा 124-ए-के प्रावधानों के अंतर्गत आता है-अपील स्वीकार है।

निर्धारित किया गया कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि मृतक का शव मेन लाइन (अप) की रेलवे लाइन पर पड़ा था यह नहीं माना जा सकता कि जब वह रेलवे ट्रैक पार कर रहा था तो किसी अज्ञात ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष पूरी तरह से बिना किसी आधार और सबूत के है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। मामले को देखते हुए मेरा मानना है कि मृतक की मृत्यु मथुरा-दिल्ली ट्रेन के झटके के कारण दरवाजे से गिरने के कारण हुई।

(पैरा 8)

इसके अलावा, धारा 123 के खंड (सी) के उप-खंड (ii) के अनुसार, यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से किसी भी यात्री का आकस्मिक गिरना 'अप्रिय घटना' से नियंत्रित होता है। इस प्रकार वह घटना जब वैध टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा करते समय दुर्घटनावश ट्रेन के दरवाजे से गिरकर मृत्यु हो गई, वह "अप्रिय घटना" की उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए आश्रित होने के नाते अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया दावा मृतक रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के प्रावधानों से पूरी तरह से शामिल है क्योंकि मृतक जो एक वैध यात्री था उसकी रेलवे के कामकाज में किसी अप्रिय घटना में मृत्यु हो गई, और इसलिए, रेलवे प्रशासन अपीलकर्ताओं को मुआवजा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(पैरा 14)

अपीलकर्ताओं के लिए वकील एन.एम. पोपली
उत्तरदाताओं के लिए वकील जगदीश मरवाहा।

निर्णय

न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल,

(1) अपीलकर्ता मृतक रमेश चंद्र अग्रवाल के आश्रित हैं जिन्होंने ने 17 अप्रैल, 1996 को पारित आदेश के खिलाफ रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 (इसके बाद आरसीटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 23 के तहत यह अपील रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्यूनस्ट, चंडीगढ़ बेंच चंडीगढ़ (इसके बाद 'ट्रिब्यूनल' के रूप में जाना जाता है;) में दायर की है -जिसके द्वारा रेल दुर्घटना में उपरोक्त रमेश चंदर अग्रवाल की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दावा याचिका खारिज कर दी गई थी।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि उपरोक्त रमेश चंद्र अग्रवाल राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। 22 मार्च, 1995 को वे अपने घर से निकले और होडल जाने के लिए और फिर होडल से जयपुर जाने के लिए और फिर जरूरी काम के लिए लिए फ़रीदाबाद गए। 23 मार्च, 1995 को उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में जब वह होडल से फ़रीदाबाद जा रहे थे तब होडल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनके पास होडल से फ़रीदाबाद तक द्वितीय श्रेणी टिकट थी। पुलिस ने अपीलकर्ताओं को होडल रेलवे स्टेशन पर उनकी मृत्यु के बारे में सूचित किया। मृतक की विधवा, अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा बाद में पूछताछ करने पर यह पता चला कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक मथुरा-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था और ट्रेन के झटके के कारण वह गिर गया और ट्रैक के दूसरी ओर मर गया। अपीलकर्ता नंबर 1 ने कुछ कागजात जैसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पूछताछ रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि एकत्र करने के बाद आर.सी.टी. अधिनियम की धारा 16 के तहत ट्रिब्यून के समक्ष तत्काल दावा याचिका दायर की। यह दावा याचिका मृतक की विधवा यानी अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा अपने लिए और मृतक के तीन नाबालिग बच्चों की ओर से दायर की गई थी जो इस अपील में अपीलकर्ता नंबर 2 से 4 हैं।

(3) जारी किए गए नोटिस के अनुसार, उत्तरदाता उपस्थित हुए और अपीलकर्ताओं के दावे का विरोध करते हुए लिखित बयान दाखिल किए । यह आरोप लगाया गया था कि मृतक को मुख्य लाइन (अप) पर एक अज्ञात ट्रेन ने कुचल दिया था और उसका शव स्टार्टर सिग्नल के पास पड़ा था। वह कोई यात्री नहीं था, वास्तविक यात्री तो बिल्कुल नहीं, और उसने रेलवे संपत्ति में अतिक्रमण किया था, इसलिए, कथित दुर्घटना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 और 124-ए (इसके बाद 'रेलवे अधिनियम' इसे कहा जाएगा) के दायरे में नहीं आती है।। इस बात से इनकार किया गया कि मृतक मथुरा-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहा था, ऐसे में ट्रिब्यूनल के पास इस मामले पर फैसला देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और दावा याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी।

(4) पक्षों की दलीलों पर, ट्रिब्यूनल द्वारा निम्नलिखित विवाधक तय किए गए-

1. क्या मृतक श्री. रमेश चंद अग्रवाल--मथुरा दिल्ली पैसेंजर ट्रेन के प्रामाणिक यात्री थे ? -ओपीए
2. क्या मृतक की मृत्यु ट्रेन दुर्घटना के कारण हुईजो रेल्वे अधिनियम की धारा 124/124ए के अर्थ के अंतर्गत है ?- ओपीए
3. यदि उपरोक्त दोनों विवाधक साबित हो जाते हैं, तो क्या आवेदक उत्तरदाताओं से दावा आवेदन में दावा की गई राशि वसूल करने का हकदार है?-ओपीए
4. राहत.

(5) विवाधक संख्या 1 पर, यह माना गया कि मृतक मृत्यु के समय उनके पास होडल से फ़रीदाबाद तक का वैध टिकट था, इसलिए यह माना गया कि वह एक वास्तविक यात्री था। विवाधक संख्या 2 पर अपीलकर्ताओं द्वारा यह कथन दिया गया कि 23 मई, 1995 को मृतक मथुरा-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा था और दिल्ली की ओर जा रहा था और ट्रेन के झटके के कारण वह मेन लाइन (अप) की ओर गिर गया। इस पर विश्वास नहीं किया गया और यह माना गया कि जब मृतक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था तो वह किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया। आगे पाया गया कि रेलवे स्टेशन होडल पर रेलवे ओवर-ब्रिज का कोई प्रावधान नहीं था। इन परिस्थितियों में यदि कोई यात्री दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहता है तो उसे उचित सावधानी के साथ और सभी जोखिमों से बचते हुए ट्रैक पार करना होगा। इसलिए यह माना गया कि मृतक स्वयं लापरवाह था। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर यह माना गया कि विचाराधीन दुर्घटना रेलवे अधिनियम की धारा 124 या 124-ए के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए अपीलकर्ताओं को किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं माना गया।

(6) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतक की मृत्यु के तरीके के संबंध में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विवाधक संख्या 2 पर दर्ज किए गए निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पलवार निवासी श्री बाबू राम के पुत्र इन्दिवर के शपथ पत्र द्वारा रिकार्ड में यह स्थापित किया गया है कि 23 मार्च, 1995 को मृतक मथुरा-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहा था जो दरवाजे पर खड़े होकर गिर गया। उक्त ट्रेन से झटका लगने के कारण उसकी मौत हो गयी। उन्होंने आगे कहा कि विवाधक नंबर 1 पर यह कहा गया था कि मृतक के पास होडल से फरीदाबाद तक का वैध टिकट था। यह तथ्य उपरोक्त गवाह द्वारा दिए गए कथन का भी समर्थन करता है कि दुर्घटना के समय, मृतक मथुरा-दिल्ली ट्रेन में यात्रा कर रहा था और ट्रेन के झटके के कारण उक्त ट्रेन के दरवाजे से नीचे गिर गया। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज निष्कर्ष में कहा गया है कि मृतक को एक अज्ञात ट्रेन ने कुचल दिया था और वह बिना किसी आधार के रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है लेकिन उक्त निष्कर्ष केवल इस तथ्य से निकाले गए अनुमान के आधार पर दर्ज किया गया है कि मृतक का शव स्टार्टर सिग्नल के पास मुख्य लाइन (अप) पर पाया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि विचाराधीन दुर्घटना स्पष्ट रूप से रेलवे अधिनियम की धारा 124 और 124-ए के अंतर्गत आती है, और रेलवे प्रशासन अपीलकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

(7) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं है और उक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं की दावा याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

(8) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनी हैं और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। मेरी राय में ट्रिब्यूनल द्वारा विवाधक संख्या 2 पर दर्ज किया गया निष्कर्ष इस आशय का है कि मृतक जब रेलवे ट्रैक पार कर रहा था तब वह एक अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया था और उसकी अपनी लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई, यह पूरी तरह से बिना किसी आधार और आधारित पर है और यह रद्द करने योग्य है । यह विवादित नहीं है कि 23 मार्च, 1995 को मृतक राम चंदर की होडल रेलवे स्टेशन पर एक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना है कि जिस दिन मृतक के पास दुर्घटना हुई उस दिन उसके पास मथुरा-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन का होडल से फरीदाबाद तक का वैध टिकट था। अपीलकर्ताओं ने बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक दिल्ली-मथुरा ट्रेन में यात्रा कर रहा था और जब वह दरवाजे पर खड़ा था तो रेलवे के झटके के कारण मुख्य लाइन (अप) की ओर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उक्त संस्करण एक स्वतंत्र गवाह श्री बाबू राम के पुत्र इंदीवर निवासी होडेल के बयान के आधार पर दिया गया था, जो उस दिन उक्त ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उक्त गवाह से

उत्तरदाताओं द्वारा जिरह की गई। मुझे उक्त गवाह पर केवल इस आधार पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता कि जब बाद में मृतक कि पत्नी अपने पति की मृत्यु के बारे में पूछताछ करने के लिए होडल गई थी तो उसने उपरोक्त घटना मृतक की विधवा को बताई थी। एक बात तो साफ है कि घटना वाले दिन मृतक के पास उसी दिन मथुरा-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन का होडल से फरीदाबाद तक का वैध टिकट था। यह तथ्य स्वयं स्थापित करता है कि उक्त स्वतंत्र गवाह द्वारा दिया गया कथन सत्य है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों का आरोप है कि मृतक रेलवे ट्रैक पार करते समय किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया। उन्होंने यह आरोप केवल इस तथ्य के आधार पर लगाया कि उनका शव मुख्य लाइन (ऊपर) की रेलवे लाइन पर मिला था। प्रतिवादियों द्वारा किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से इस आशय का परीक्षण नहीं कराया गया कि मृतक किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया था तथा उसकी मृत्यु उस दुर्घटना के कारण हुई। इसलिए, केवल इस तथ्य के आधार पर कि मृतक का शव मुख्य लाइन (अप) की रेलवे लाइन पर पड़ा था, यह नहीं माना जा सकता है कि जब वह रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तो किसी अज्ञात ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। मेरी राय में, इस संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष पूरी तरह से बिना किसी आधार और सबूत के है और इसे रद्द किया जा सकता है। मामले को देखते हुए मेरा मानना है कि मृतक की मृत्यु मथुरा-दिल्ली ट्रेन के झटके के कारण दरवाजे से गिरने के कारण हुई।

(9) अब वर्तमान अपील में निर्धारण का प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त तरीके से मृतक की मृत्यु रेलवे अधिनियम की धारा 124 और 124-ए के अंतर्गत आती है या रेलवे के अध्याय XII में निहित धारा 123 से 129 में आती है। अधिनियम रेलवे दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों की मृत्यु और चोट के लिए रेलवे प्रशासन के दायित्व से संबंधित है। आर.सी.टी की धारा 13 रेलवे दुर्घटनाओं से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए उक्त अधिनियम के तहत स्थापित दावा न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार , शक्तियों और अधिकार का प्रावधान करती है। इस धारा के तहत दावा न्यायाधिकरण के पास पुराने अधिनियम यानी रेलवे अधिनियम (1890 का 9) की धारा 82-ए के बराबर रेलवे अधिनियम की धारा 124 के तहत रेलवे प्रशासन द्वारा देय मुआवजा और धारा 124 के तहत उत्पन्न होने वाली देनदारी देने का क्षेत्राधिकार है। रेलवे अधिनियम कि धार 123 के खंड (ए) में दुर्घटना शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ धारा 124 में दुर्घटना वर्णित प्रकृति है। रेलवे अधिनियम की धारा 124 इस प्रकार है:-

> **124. दायित्व की सीमा**-जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई दुर्घटना होती है, जो या तो ऐसी रेलगाड़ियों के बीच टक्कर हो जिनमें एक यात्रियों का वहन करने वाली रेलगाड़ी है अथवा यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी या ऐसी रेलगाड़ी का कोई भाग पटरी से उतर गया हो या कोई अन्य दुर्घटना हुई हो, तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो जो उस यात्री को, जो क्षतिग्रस्त हुआ है या जिसने हानि उठाई है, उसके बारे में अनुयोजन करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरने वाले यात्री की मृत्यु के कारण हुई हानि के लिए और ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई वैयक्तिक क्षति तथा यात्री के स्वामित्व में ऐसे माल की, जो उसके साथ उस कक्ष में या उस रेलगाड़ी में हो, हानि, नाश, नुकसान, या क्षय के लिए, उस सीमा तक, जो विहित की जाए, और केवल उस सीमा तक ही, प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा ।

(10) इस धारा के तहत रेलवे प्रशासन केवल मृतक के आश्रितों या घायलों को मुआवजा देने में सक्षम है। जब कथित घटना रेलवे के संचालन के दौरान होती है तब या तो ट्रेनों के बीच टक्कर होती है, जिनमें से एक है यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन या उसके किसी हिस्से का पटरी से उतर जाना या अन्य

दुर्घटना। **भारत संघ और अन्य बनाम सुनील कुमार घोष** [1]मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे अधिनियम (1890 का 9) में पुराने अधिनियम की धारा 82-ए की व्याख्या की है जो रेलवे अधिनियम की धारा 124 के बराबर थी और यह माना गया कि इस धारा के तहत केवल वह दुर्घटना शामिल की गई थी जो ट्रेन या ट्रेन के किसी हिस्से के साथ (i) लुढ़कने, या (ii) पटरी से उतरने, या (iii) किसी अन्य दुर्घटना के कारण हुई दुर्घटना थी और न कि ऐसी दुर्घटना जिसमे एक यात्री हो। उक्त मामले में, रेलवे प्रशासन को उस यात्री को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था जो शंटिंग के दौरान ट्रेन से गिर गया था और घायल हो गया था। इसी प्रकार, उक्त निर्णय का पालन करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने **रेटनाकर तानबाजी इटनकर बनाम भारत संघ**[2] मामले में कहा कि एक दुर्घटना जिसमें यात्री ट्रेन की बोगी से गिर गया और प्लेटफार्म और चलती ट्रेन के बीच फंसने से उसकी मृत्यु हो गई। रेलवे अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत यह शामिल नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, कानून की स्थिति के अनुसार, वर्तमान मामले में विचाराधीन दुर्घटना भी रेलवे अधिनियम की धारा 124 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आती है।

(11) अब इसकी जांच की जानी है कि क्या मौजूदा मामले में अपीलकर्ताओं का दावा रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के तहत आता है या नहीं। धारा 124-ए इस प्रकार पढ़ी जाती है:

> **124क. अनपेक्षित घटनाओं मद्धे प्रतिकर**-जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई अनपेक्षित घटना होती है तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो, जिसका उस यात्री को जो उससे क्षतिग्रस्त हुआ है या उस यात्री के जिसकी मृत्यु हो गई है, आश्रित को उसके बारे में अनुयोजन करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की हुई मृत्यु, या उसको हुई क्षति द्वारा पहुंची हानि के लिए उस सीमा तक, जो विहित की जाए, और केवल उस सीमा तक ही, प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा :
>
> परन्तु इस धारा के अधीन रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा, यदि यात्री की निम्नलिखित के कारण मृत्यु होती है या उसको क्षति होती है, अर्थात्: -
>
> (क) उसके द्वारा आत्महत्या या किया गया आत्महत्या का प्रयत्न;
>
> (ख) उसके द्वारा स्वयं को पहुंचाई गई क्षति;
>
> (ग) उसका अपना आपराधिक कार्य;
>
> (घ) उसके द्वारा मत्तता या उन्मत्तता की हालत में किया गया कोई कार्य;
>
> (ङ) कोई प्राकृतिक कारण या बीमारी अथवा चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय उपचार जब तक कि ऐसा उपचार उक्त अनपेक्षित घटना द्वारा हुई क्षति के लिए आवश्यक नहीं हो जाता है ।

(12) यह धारा संसद द्वारा रेलवे (संशोधन) अधिनियम (1994 का 28) द्वारा पेश की गई थी। यह धारा रेलवे के कामकाज के दौरान होने वाली अप्रिय घटना के पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान

---

[1] 1984 एसीजे 719

[2] एआईआर 1991 बॉम्बे 182

करती है। इस धारा को संसद द्वारा रेलवे अधिनियम में शामिल किया गया था क्योंकि कई घटनाएं जो हालांकि रेलवे के कामकाज के दौरान हुईं अक्सर रेलवे यात्राओं के दौरान होती हैं जो कि धारा 124 के दायरे में शामिल नहीं थीं। इसलिए, इसकी बुद्धिमत्ता में संसद ने रेल दुर्घटनाओं के निर्दोष पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए जोड़ी। उपरोक्त धारा की शुरुआत से पहले. 'अप्रिय घटना' की अभिव्यक्ति रेलवे अधिनियम से भिन्न थी। रेलवे (संशोधन) अधिनियम (1994 का 28) द्वारा दो परिवर्तन किये गये। रेलवे अधिनियम की धारा 123 में खंड (सी) जोड़ा गया था जो "अप्रिय घटना" को परिभाषित करता है और दूसरी बात, रेलवे प्रशासन के दायित्व को बढ़ाने के लिए धारा 124-ए डाली गई थी, जो भुगतान का प्रावधान करती है। किसी घायल यात्री या मारे गए यात्री के आश्रित को मुआवजा मिले जब ऐसा यात्री रेलवे परिचालन के दौरान किसी अप्रिय घटना के कारण घायल हो जाता है या मर जाता है। लेकिन इस धारा के परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि यात्री की मृत्यु हो जाती है या उसे चोट लगती है तो रेलवे प्रशासन द्वारा इस धारा के तहत मुआवजा देय होगा:

(ए) उसके द्वारा आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास;
(बी) स्वयं को पहुंचाई गई चोट;
(सी) उसका अपना आपराधिक कृत्य;
(डी) नशे या पागलपन की स्थिति में उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य; या
(ई) कोई प्राकृतिक कारण या बीमारी या चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपचार जब तक कि उक्त अप्रिय घटना के कारण चोट लगने के कारण ऐसा उपचार आवश्यक न हो जाए।

(13) धारा 123 का खंड (सी) "अप्रिय घटना" को निम्नानुसार परिभाषित करता है
((i) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर एक आतंकवादी कृत्य का कमीशन; या
(ii) हिंसक हमला करना या लूट या डकैती करना, या
(iii) यात्रियों को ले जाने वाली किसी ट्रेन में या प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम या आरक्षण या बुकिंग कार्यालय में या किसी प्लेटफार्म पर या परिसर के भीतर किसी अन्य स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा दंगा, गोलीबारी या आगजनी में लिप्त होना किसी रेलवे स्टेशन का, या
(2) यात्रियों से भरी रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना।

(14) उपरोक्त उपधारा (2) के अनुसार यात्रियों से भरी रेलगाड़ी से किसी भी यात्री का आकस्मिक रूप से गिरना अप्रिय घटना से नियंत्रित होता है। इस प्रकार, विचाराधीन घटना जब वैध टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा करते समय दुर्घटनावश ट्रेन के दरवाजे से गिरने से मृत्यु हो गई, तो 'अप्रिय घटना' की उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए, मेरी राय में, मृतक के आश्रित होने के नाते अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया दावा पूरी तरह से रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के प्रावधान के अंतर्गत आता है क्योंकि मृतक जो एक वैध यात्री था, उसकी रेलवे में हुई अप्रिय घटना से मृत्यु हो गई। इसलिए रेलवे के कामकाज में रेलवे प्रशासन अपीलकर्ताओं को मुआवजा देने में सक्षम है।

(15) अब प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे की मात्रा के बारे में सवाल उठता है। निर्विवाद रूप से मृतक राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत था और अपनी मृत्यु के समय, वह रुपये 6,200 प्रति माह का वेतन प्राप्त कर रहा था और उसकी आयु 35 वर्ष थी। उपरोक्त मासिक वेतन और परिवार के आकार को ध्यान में रखते हुए जिन्हे मृतक भरण-पोषण

कर रहा था, अपीलकर्ताओं की निर्भरता का आकलन रुपये 50,000 प्रति वर्ष से कम नहीं किया जा सकता है। अगर 16 का मल्टीप्लायर लगाया जाए तो आंकड़ा 8 लाख रुपये बैठता है। लेकिन रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत रेलवे प्रशासन का दायित्व सीमित है। धारा 124-ए में प्रावधान है कि "रेलवे प्रशासन" किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, उस सीमा तक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा जो निर्धारित किया जा सकता है और केवल उस सीमा तक जो किसी यात्री की मृत्यु या चोट के कारण हुई हानि के लिए ऐसी अप्रिय घटना के परिणामस्वरूप हो ।" इस प्रकार, ऐसे मामले में रेलवे प्रशासन का दायित्व उस सीमा तक मुआवजा देना होगा जैसा कि रैलवेस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। धारा 129, केंद्र सरकार को इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है। ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने रेलवे दुर्घटना (मुआवजा) नियम, 1990) नामक नियम बनाए हैं। इन नियमों के नियम 3(1) में अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार मृत्यु या चोटों के संबंध में देय मुआवजे की राशि का प्रावधान है। प्रारंभ में उक्त अनुसूची में मृत्यु के कारण देयता केवल 2 लाख रुपये थी, लेकिन उक्त अनुसूची को अब 1 नवंबर, 1997 से संशोधित किया गया है और मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि 2 लाख रुपये से बढ़ा दी गई है। 4 लाख. इस प्रकार, इस संशोधित अनुसूची के मद्देनजर, अपीलकर्ता 4 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं।

(16) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जाती है; ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 17 अप्रैल, 1996 का आदेश रद्द किया जाता है। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दावा याचिका स्वीकार कर ली गई है और उन्हें 4 लाख रुपये प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ का मुआवजा प्राप्त करने का हकदार माना गया है। दावा याचिका दायर करने की तारीख से तीन महीने तक मुआवजे की उपरोक्त राशि की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

(17) लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी

Hardik Sachdeva

Trainee Judicial Officer

Place of Posting: Bhiwani